ग्राम पंचायत सपरोठ , विकास खण्ड तीसा व तहसील चुराह, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2015 से 31-03-2018

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सपरोठ विकास खण्ड तीसा जिला चम्बा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया l

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री श्याम लाल	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति जीवनो देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री रतन चन्द	2006 से 07-11-16
2.	श्री धर्म चन्द	08-11-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार :-

क्रम संख्या	**पैरा स०**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशी {₹लाखों में }**
1.	6.	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष l	0.07
2.	7	अनुदान राशियों का अवरोधन l	9.27
3.	8	सोलर लाइट की खरीद पर अनियमित रूप से अधिक व्यय	1.39
4 .	9	निर्माण कार्यो के प्राकलन प्रशासन व तकनीकी स्वीकृति तथा माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करना l	विवरणानुसार
5 .	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीद बारे l	1.02
6.	12	क्रय निर्माण सामग्री को स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना l	1.10

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत सपरोठ, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 01/4/2015 से 31/03/2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व श्री प्रीतम चन्द,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-05-2018 से 02-06-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय सपरोठ में किया गया l आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09 /15 ,10/16 व 06/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 06/15, 09/16 व 02/18 को चयनित किया गया l

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है l उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा l

3 **अंकेक्षण शुल्क**:-

ग्राम पंचायत सपरोठ विकास खण्ड तीसा जिला चम्बा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹7200 बनता है l उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:138 दिनांक 02-06-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सपरोठ से अनुरोध किया गया l

4 **वितीय स्थिति**:- ग्राम पंचायत सपरोठ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत सपरोठ की अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क}स्व स्त्रोत :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	36042	24472	60514	28327	32187
2016-17	32187	26171	58358	19545	38813
2017-18	38813	17549	56362	32112	24250

{ख} अनुदान :-ग्राम पंचायत सपरोठ के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण परिशिष्ट–1 के अनुसार निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	825306	1335659	2160965	1757254	403711
2016-17	403711	4339904	4743615	3581938	1161677
2017-18	1161677	6618777	7780454	6853701	926753

दिनांक 31-3-18 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	**बैंक का नाम**	**खाता सं**	**राशि**
1.	HPSCB Bhanjraru	17710103148	176850
2.	----do------	17710110584	629710
3.	----do-----	17710104960	579
4.	SBI Bhanjraru	32781307275	22812
5.	------do---	32781315152	121052
		Total	**951003**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-18 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹951003

(ख)दिनांक 31-3-18 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹951003

5 नियमानुसार रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत सपरोठ की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था l जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 7 (3)एवं 10(1)के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था l अत: भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये l

6 पंचायत राजस्व ₹0.07 लाख वसूली हेतु शेषः-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-18 तक पंचायत राजस्व ₹6800 की वसूली शेष थी जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाएः–

गृहकरः–

वर्ष	**आ. शेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2015-16	2350	6000	8350	0	8350
2016-17	8350	6000	14350	14350	0
2017-18	0	6800	6800	0	6800

7 अनुदान ₹9.27 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान **₹926753** उपयोग हेतु शेष थी l ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को

विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा l अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए l

8 **सोलर लाईटों की खरीद में ₹1.39 लाख का अनियमित रूप से अधिक व्यय:–**

वाउचर सं 18 माह 09/17 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹238000 की 14 सोलर लाइटें 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई व इन स्ट्रीट लाइट को लगवाने पर ₹59789 सहित कुल 297789=(238000+59789) का भुगतान किया गया उक्त खरीद में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) निदेशक पंचायती राज के पत्र सं :- पीसीएच –एचसी (10)1/2015 –एफ.एफ.सी.-II-30288 के अनुसार सोलर लाइट की खरीद हिम उर्जा से की जानी अपेक्षित थी जबकि उक्त खरीद खुले बाजार से की गई जोकि गम्भीर मामला है अत: खुले बाजार से खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए l

(ii) सचिव,पंचायती राज के पत्र सं :पी०सी०एच०(10)1/2013(एफ०एफ०सी०)-37299-388 दिनांक 31-12-15 के मद 5 अनुसार 14वें वित्त आयोग से कुल प्राप्त राशि का 10% ही स्ट्रीट लाईट की खरीद के लिए व्यय की जानी अपेक्षित थी l जाँच में पाया गया कि पंचायत को 14वें वित्त आयोग अनुदान से माह 3 /18 तक कुल ₹1591418 प्राप्त हुई व नियमानुसार सोलर लाइट की खरीद हेतु ₹159142/- व्यय की जानी अपेक्षित थी उपरोक्त विवरणानुसार 297789/- व्यय की गई । इस प्रकार ₹138647=(297789 -159142) सोलर लाइट पर अधिक व्यय की गई l जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से 138647/- की वसूली कर उक्त अनुदान में जमा किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए l

(iii) उक्त खरीदी गई 14 सोलर लाइटो की स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई जिसके आभाव में खरीद की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: स्टॉक प्रविष्टि न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

9 **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे:-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशाशनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था l निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई , जिसके आभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता

की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी l अंकेक्षण अधियाचना सं 139 दिनांक 02-06-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया l अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

क्रम सं	**कार्य का नाम**	**शीर्ष**
1.	नि० पुली निर्माण सपरोठ नाला 2016-17	सामान्य निधि
2.	नि०खुरली निर्माण सपरोठ 2016-17	यथोपरि
3.	ड्रेन निर्माण गगेना 2016-17	यथोपरि

10 निर्माण कार्य में सीमेंट की निर्धारित मानकों से बिल्कुल कम मात्रा की खपत दर्शाई जाने बारे :-

कार्य का नाम :- नि० स्ट्रीट लाइट सपरोठ से जालपा माता मन्दिर

माप पुस्तिका ;-18442 पृष्ठ 30

व्यय की गई राशि :- ₹59789/-

उक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि इस कार्य के लिए सीमेंट की खपत से सम्बन्धित मद का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए निर्धारित मानकों के अनुसार निम्नलिखित सीमेंट की खपत अपेक्षित थी l

मद का नाम	**सीमेंट की अपेक्षित** खपत **मात्रा**
P/L1.3.6 (25.2 cum)	25.2cum X 4.4 = 111 बैग

जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित 111 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 20 बैग सीमेंट का प्रयोग किया गया था l जो कि एक गंभीर मामला है l अत: ऐसा प्रतीत होता है कि सीमेंट की सही मात्रा नहीं डाली गई जिससे उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संदेह पैदा होता है , जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.02 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है l व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **101734** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया l जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 137 दिनांक 02-06-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सपरोठ को अवगत करवाया गया जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया l अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की

स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाएl

12 क्रय की गई ₹1.10 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित था l परन्तु पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.3.18 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार ₹109534 की निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 137 दिनांक 02-06-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सपरोठ को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि एक गम्भीर मामला है l बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा उक्त खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी l जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार उक्त खरीद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 139 दिनांक 02-06-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सपरोठ को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यो का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही
8	वर्गीकृत सार रजिस्टर

14 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

15 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l

16 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है l

17 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है l

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(vii) 33/2018 खण्ड–1–6777–6780 दिनांक 25.10.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत सपरोठ, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881